न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) टिब्बी जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :—सत्यनारायण आर.ए.एस.

मि0न0 12/2026

1 विमला देवी पत्नी नत्थूराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी कुलचन्द्र तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़ । प्रार्थीया

बनाम्

1. रमेश कुमार पुत्र जगदीश
2. विमला देवी पत्नी जगदीश
3. सुभाषचन्द्र पुत्र जगदीश
4. तहसीलदार राजस्व टिब्बी।

प्रजापति बावरी निवासीयान चन्दूरवाली तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़। अप्रार्थीगण

राजस्थानकाश्तकारी अधि0 1955 धारा 251ए आरटीए.

उपस्थिति :—श्री महेश गौड अधिवक्ता वादी

श्री सुनील शर्मा अधिवक्ता प्रतिवादीगण

दिनांकः 12/3/26

निर्णय

प्रार्थना पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि चक नं0 10 एनजीसी के जमाबन्दी संवत 2075 ता 78 के खाता सं0 106/97 में प्रार्थीया के नाम से कुल 2.2770 है0 आराजी नहरी, गै०मु० कुआं व गै०मु० खाला दर्ज राजस्व रिकार्ड हे। नकल जमाबन्दी संलग्न प्रार्थना पत्र है। चकनं0 10 एनजीसी के खाता सं0 230/44 में कुल 4.6240 है0 नहरी मय गै०मु० आराजी अप्रार्थीगण सं० 1 ता 3 के नाम से बहि०ब० आराजी दर्ज राजस्व रिकार्ड है। नकल जमाबन्दी संलग्न प्रार्थना पत्र है। प्रार्थीया को अपनी कृषि भूमि में आवागमन के लिए कोई स्वीकृतशुदा रास्ता नही है। प्रार्थीया अपनी आराजी में चक नं0 10 एन.जी.सी के प0न0 208/257 मु0 24 किलानं0 1/1 मे से होकर अपनी आराजी किलानं0 2 में प्रवेश करती चली आ रही है प्रार्थीया की भूमि के मध्य में मात्र एक बीघा भूमि जो कि अप्रार्थीगण की भूमि है। उक्त रास्ता पिछले काफी समय से चालू है तथा उक्त चालू रास्ता के अलावा प्रार्थीया के पास अपनी आराजी में आवागमन के लिए अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नही है। लेकिन उक्त रास्ता राजस्व रिकार्ड में स्वीकृत नही है जिस कारण से प्रार्थीया को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है इसलिए प्रार्थीया, अप्रार्थीगण सं0 1 ता 3 के नाम से दर्ज चक 10 एनजीसी के प०न० 208 / 257 मु0 24 किलानं0 1/1 में उतर दिशा की तरफ पश्चिम से पूर्व 12 फुट चौड़ा व 165 फुट लम्बा यानि 0.0185 है० रास्ता स्वीकृत करवाकर राजस्व रिकार्ड में गै०मु० रास्ता का अंकन करवाना चाहती है। प्रार्थीया रास्ता में आई भूमि के बदले में अप्रार्थीगण को डीएलसी रेट के अनुसार राशि देने के लिए तैयार है । प्रार्थीया ने अप्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र की दफा 4 के अनुसार रास्ता राजस्व रिकार्ड में स्वीकृत करवाने के लिए निवेदन किया तो अप्रार्थीगण, प्रार्थीया के निवेदन को मानने से कतई इन्कार हो गया । बय यही बिनाय प्रार्थना पत्र है। प्रार्थना पत्र रास्ता स्वीकृति का है जो पूर्ण कोर्टफीस पर तहरीर है व अन्दर मियाद एंव काबिल समायत अदालत हाजा के है। लिहाजा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि अप्रार्थीगण सं0 1 ता 3 के नाम से दर्ज 10 एनजीसी के प0न0 208/257 मु0 24 किलानं0 1/1 में उतर दिशा की तरफ

उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर टिब्बी

पश्चिम से पूर्व 12 फुट चौड़ा व 165 फुट लम्बा यानि 0.0185 है0 रास्ता स्वीकृत कर राजस्व रिकार्ड में गै०मु० रास्ता का अंकन किये जाने के आदेश फरमावे।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया अप्रार्थीगण की ओर से जरिये अधिवक्ता जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया कि प्रार्थना पत्र की दफा 1 पते से सम्बन्धित है जो सही होने से स्वीकार है। प्रार्थना पत्र की चरण सं0 2 में चक नं0 10 एनजीसी के जमाबन्दी संवत 2075 ता 78 के खाता सं0 106/97 में प्रार्थीया के नाम से कुल 2.2770 है० आराजी नहरी, गै०मु० कुआं व गै०मु० खाला दर्ज राजस्व रिकार्ड होना स्वीकार है । प्रार्थना पत्र की दफा 3 में चकनं0 10 एनजीसी के खाता सं0 230/44 में कुल 4.6240 है० नहरी मयं गै०मु० आराजी अप्रार्थीगण सं0 1 ता 3 के नाम से व०हि०व० आराजी दर्ज राजस्व रिकार्ड होना स्वीकार है। प्रार्थना पत्र की दफा 4 में दर्ज तथ्य स्वीकार है । प्रार्थीया को अपनी कृषि भूमि में आवागमन के लिए कोई स्वीकृतशुदा रास्ता नही है। प्रार्थीया अपनी आराजी में हम अप्रार्थीगण की आराजी चक नं० 10 एन.जी.सी के प0न0 208/257 मु0 24 किलानं0 1/1 मे से होकर अपनी आराजी किलानं0 2 में प्रवेश करती चली आ रही है प्रार्थीया की भूमि के मध्य में मात्र एक बीघा भूमि जो कि हम अप्रार्थीगण की भूमि है । उक्त रास्ता पिछले काफी समय से चालू है तथा उक्त चालू रास्ता के अलावा प्रार्थीया के पास अपनी आराजी में आवागमन के लिए अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नही है। इसलिए हम अप्रार्थीगण सं० 1 ता 3 के नाम से दर्ज चक 10 एनजीसी के पठन० 208/257 मु0 24 किलानं0 1/1 में उतर दिशा की तरफ पश्चिम से पूर्व 12 फुट चौड़ा व 165 फुट लम्बा यानि 0.0185 है० रास्ता स्वीकृत कर राजस्व रिकार्ड में गै०मु० रास्ता का अंकन किया जाता है तो हम अप्रार्थीगण को कोई उज्र व एतराज नही है । हम अप्रार्थीगण ने प्रार्थीया से रास्ता में आई भूमि के बदले में नगद राशि प्राप्त कर ली है । इसी अनुसार हमारा आपस में राजीनामा हो गया है। हम अप्रार्थीगण इससे पूर्णतया सहमत है। प्रार्थना पत्र की दफा 5 लाइल्मी दर्ज की गई है। प्रार्थना पत्र की दफा 6 कानूनी है लिहाजा जबाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि हम अप्रार्थीगण सं० 1 ता 3 के नाम से दर्ज चक 10 एनजीसी के प0न0 208/257 मु0 24 किलानं0 1/1 में उतर दिशा की तरफ पश्चिम से पूर्व 12 फुट चौड़ा व 165 फुट लम्बा यानि 0.0185 है० रास्ता स्वीकृत कर राजस्व रिकार्ड में गै०मु० रास्ता का अंकन किया जाता है तो हम अप्रार्थीगण को कोई उज्र व एतराज नही है। तहसीलदार राजस्व टिब्बी से जवाब शामिल पत्रावली किया गया।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी बहस पर मनन किया पत्रावली का अवलोकन किया गया, हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी ने चक 10 एनजीसी के प0न0 208/257 मु0 24 किलानं0 1/1 में उतर दिशा की तरफ पश्चिम से पूर्व 12 फुट चौड़ा व 165 फुट लम्बा यानि 0.0185 है0 रास्ता स्वीकृत कर राजस्व रिकार्ड में गै०मु० रास्ता स्वीकृत किये जाने का अनुतोष चाहा है दौराने बहस वकील प्रार्थी ने कथन किया उक्त प्रस्तावित रास्ते के अलावा प्रार्थी को अपनी खातेदारी भूमि में प्रवेश के लिए अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलबध नही है वकील अप्रार्थी ने प्रस्तावित रास्ते का अंकन राजस्व रिकोड में करने का निवेदन किया। प्रार्थना पत्र प्रार्थी 251ए आरटीए के प्रावधानो के सुसंगत होने एंव अप्रार्थीगण की सहमति के अधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है। व10 एनजीसी के प0न0 208/257 मु0 24 किलानं0 1/1 में उतर दिशा की तरफ पश्चिम से पूर्व 12 फुट चौड़ा व 165 फुट लम्बा यानि 0.0185 है० रास्ता स्वीकृत किया जाता है तहसीलदार राजस्व टिब्बी को आदेशित किया जाता है कि यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो उक्तानुसार रास्ते का राजस्व रिकोर्ड में अंकन करे।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर टिब्बी।